न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद (कोटा)

उनवान संख्या 19/19 | तारीख दायरा 13.02.2019 | तारीख फैसला 24/12/2019

पीठासीन अधिकारी – जबर सिंह (R.A.S.)

उनवान

जितेन्द्र पुत्र पन्नालाल जाति मीना निवासी तोरण तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादी

बनाम

1. अमिताभ पुत्र राधेश्याम
2. मनोज पुत्र राधेश्याम
3. राममूर्ति बेवा राधेश्याम जाति मीणा निवासीगण तोरण तहसील दीगोद जिला कोटा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89–188 आर.टी.एक्ट

उपस्थित – श्री रामबाबू दाधीच एडवोकेट वादी की ओर से
– श्री शिवप्रसाद शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 की ओर से

निर्णय

वादी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88–89–188 आरटीएक्ट, इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम तोरण तहसील दीगोद जिला कोटा में ख0नं0 110 रकबा 2.91 हे0 भूमि सीताराम पुत्र भैरूलाल व अन्य की संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी। उक्त भूमि में सीताराम का 3/4 हिस्से में 1/5 हिस्सा अर्थात् सम्पूर्ण भूमि में 3/20 हिस्सा निहित था। उक्त भूमि में से सीताराम पुत्र भैरूलाल नें अपनें हिस्से 3/20 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 06.07.2010 को वादी को बैचान कर दिया और मौके पर कब्जा संभला दिया। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से सीताराम के समस्त अधिकारों का अवसान हो चुका था, तत्पश्चात् सीताराम व अन्य सहखातेदारान नें अपना निहित हिस्सा 3/5 राधेश्याम पुत्र भैरूलाल के पक्ष में रजिस्टर्ड दान कर दिया गया, जिसका इंतकाल नं0 737 दिनांक 07.09.2015 से राजस्व जमाबंदी में इन्द्राज दर्ज हो चुका है। दान ग्रहिता राधेश्याम की मृत्यु हो चुकी है तथा उसके वारिसान प्रतिवादी नं0 1 ता 3 का नाम राधेश्याम के स्थान पर दर्ज हो चुका है। सीताराम द्वारा किया गया दानपत्र पूर्ण रूप से अवैध है तथा वादी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर विवादित आराजी में से सीताराम के हिस्से 3/20 को प्राप्त करनें एवं खातेदार घोषित होनें का अधिकारी है। वाद कारण दिनांक 15.01.2019 को प्रतिवादी नं0 1 ता 3 द्वारा ग्राम तोरण स्थित भूमि में वादी का नाम दर्ज करवानें से मना करनें भूमि को खुर्द बुर्द रहन, बैचान करनें की धमकी देनें से उत्पन्न हुआ।

Scanned by CamScanner

वाद प्रस्तुत कर वादी ने निवेदन किया कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें– ग्राम तोरण तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 110 रकबा 2.91 हे0 भूमि में 3/20 हिस्से का वादी को खातेदार घोषित किया जावें। प्रतिवादी नं0 1 ता 3 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमावें कि वह वादी के हिस्से की भूमि के कब्जें काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करें एवं भूमि को रहन, बैचान व खुर्द बुर्द नहीं करें। प्रतिवादी नं0 4 को निर्देशित किया जावें कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। वाद व्यय एवं अन्य न्यायोचित सहायता हो वह भी वादी को प्रदान की जावें।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी द्वारा निम्न साक्ष्य प्रस्तुत किये–

1. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम तोरण सं0 2071–74 खाता नं0 73
2. छायाप्रति विकय पत्र दिनांक 06.07.2010
3. छायाप्रति नामान्तरकरण सं0 888 ग्राम तोरण

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 की ओर से वकील श्री शिवप्रसाद शर्मा का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ। दौरानें वाद उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो गया तथा उभयपक्ष द्वारा उपस्थित होकर प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामा उपस्थित पक्षकारान् को पढकर सुनाया गया, जिस पर पक्षकारान् ने सहमति जाहिर की। वादी की पहचान वकील श्री रामबाबू दाधीच व प्रतिवादी नं0 1 ता 3 की पहचान वकील श्री शिवप्रसाद शर्मा द्वारा प्रमाणित की गई। राजीनामा पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेंजो का अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम तोरण सं0 2071–74 खाता नं0 73 पर नामान्तरकण सं0 737 दिनांक 07.09.15 से खातेदार धन्नीबाई सीताराम सत्यनारायण व धनराज द्वारा अपनें हिस्से 3/4 का किये गये रजिस्टर्ड दानपत्र का नामान्तरकरण दर्ज किया गया, जबकि सहखातेदार सीताराम द्वारा विवादित आराजी में निहित अपनें हिस्से 3/20 का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र से वादी जितेन्द्र को दिनांक 06.07.2010 को कर दिया गया था, जिसका इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में तत्समय नहीं किये जानें से खातेदारान् द्वारा दानपत्र आलेखित करवा दिया गया। जबकि सीताराम के स्वत्वों का अवसान रजिस्टर्ड विकय पत्र आलेखित करनें के उपरान्त ही हो चुके थे, बावजूद इसके सीताराम द्वारा दानपत्र आलेखित करवा दिया गया। दानग्रहिता राधेश्याम के वारिसान प्रतिवादी नं0 1 ता 3 सीताराम के हिस्से

सहायक कलक्टर एवं

Scanned by CamScanner

को वादी के पक्ष में छोडनें हेतु सहमत है। उभयपक्ष द्वारा प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत किये जानें के परिणामस्वरूप वाद में समस्त विवाद्यकों का अवसान हो जाना स्वाभाविक है तथा वादी व प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 नें मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किये जानें की स्वीकारोक्ति प्रदान किये जानें से वाद वादी स्वीकार योग्य है।

लिहाजा वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम तोरण तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 110 रकबा 2.91 हे0 भूमि में 3/20 हिस्से का (रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर) वादी को खातेदार घोषित किया जाता है, शेष यथावत् रहेगा। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हों। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनॉक 25/12/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

सहायक कलक्टर एवं

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

उनवान

जितेन्द्र पुत्र पन्नालाल जाति मीना निवासी तोरण तहसील दीगोद जिला कोटा – वादी

बनाम

1. अमिताभ पुत्र राधेश्याम
2. मनोज पुत्र राधेश्याम
3. राममूर्ति बेवा राधेश्याम जाति मीणा निवासीगण तोरण तहसील दीगोद जिला कोटा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89–188 आर.टी.एक्ट

मिसल नम्बर–19/19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ जबर सिंह आर.ए.एस. बहाजिरी श्री रामबाबू दाधीच एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब श्री शिवप्रसाद शर्मा एडवोकेट मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ''वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम तोरण तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 110 रकबा 2.91 हे0 भूमि में 3/20 हिस्से का (रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर) वादी को खातेदार घोषित किया जाता है, शेष यथावत् रहेगा।'' तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक २५/१२/2019 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner